कार्यालय नगरपालिक निगम, भोपाल सामान्य प्रशासन विभाग

विज्ञापन

क्रमांक 308/सा.प्र.वि./2024 — **भोपाल, दिनांक : 24.07.2024**

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की याचिका W.P. No. क्रमांक 7275/2019 में पारित आदेश दिनांक 30.01.2024 म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 07-19/2019/आ.प्र./1 दिनांक 14.02.2024, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के पत्र क्रमांक/676/16017123/2023/18-1 दिनांक 16.02.2023 संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/स्था. एक/201/प्र.शि./2024/3780 भोपाल दिनांक 26.02.2024 तथा मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, के पत्र क्रमांक एफ 8-2/2013/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 04.01.2024 एवं प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक/2461/1607123/2023/18-1 भोपाल दिनांक 15 जुलाई, 2024 तथा अन्य पत्रों में दिये गये निर्देशानुसार विशेष भर्ती अभियान के तहत दिव्यांगजनों के लिए निम्नानुसार नियमित एवं संविदा के आरक्षित पद/पदों की पूर्ति वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से की जाना है। इस हेतु निर्धारित योग्यता एवं अर्हता रखने वाले अभ्यार्थी नीचे दर्शाये गये निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भरकर दिनांक 13.08.2024 तक कार्यालयीन समय प्रात: 10.00 से 6:00 सायंकाल तक आवेदन-पत्र प्रेषित करें। निर्धारित समयावधि में आवेदन पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में उन पर विचार नहीं किया जायेगा। डाक के माध्यम से विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र के लिए निकाय/कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। दिव्याजनों हेतु आरक्षित रिक्त पदों का विवरण, वेतनमान निर्धारित योग्यता की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	पद का नाम	पद की श्रेणी	वेतनमान	दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित वर्गवार रिक्तियां				निर्धारित योग्यता
				दृष्टिबाधित और कम दृष्टि	बहरे और कम सुनने वाले	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्राफी	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता	
1.	शीघ्रलेखक वर्ग-03	तृतीय श्रेणी	28700-91300 (लेवल-7)	00	00	01	00	12वीं कक्षा उत्तीर्ण मान्यता प्राप्त संस्थान से आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण व कम्प्यूटर प्रचालन में सा.प्र.वि. म.प्र. शासन द्वारा निर्धारित योग्यता।
2	लीडिंग फायरमेन	तृतीय श्रेणी	28700-91300 (लेवल-7)	00	01	00	00	12वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा अग्निशमन में पत्रोपाधि।
3	फायरमेन	तृतीय श्रेणी	22100-70000 (लेवल-5)	00	00	01	01	12वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा मान्यता प्राप्त संस्थान से अग्निशमन डिप्लोमा कोर्स या समतुल्य।
4	उपयंत्री (सिविल)	तृतीय श्रेणी	32800-103600 (लेवल-8)	00	01	01	01	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में 03 वर्षीय डिप्लोमा।
5	समयपाल	तृतीय श्रेणी	19500-62000 (लेवल-4)	00	00	01	01	12वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा सिविल इंजीनियरिंग ट्रेड में आई.टी.आई.।
6	सहायक राजस्व निरीक्षा	तृतीय श्रेणी	19500-62000 (लेवल-4)	01	02	02	01	12वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा कम्प्यूटर प्रचालन की दक्षता
7	उपस्वच्छता पर्यवेक्षक	तृतीय श्रेणी	19500-62000 (लेवल-4)	01	01	02	02	12वीं कक्षा उत्तीर्ण।
8	सहायक अतिक्रमण निरोधक अधिकारी	तृतीय श्रेणी	32800-103600 (लेवल-8)	00	01	00	00	मान्यता प्राप्त संस्थान से नगर नियोजन में उपाधि।
9	माली (प्रशिक्षित)	तृतीय श्रेणी	19500-62000 (लेवल-4)	00	01	00	01	8वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षण अथवा 05 वर्ष का अनुभव।
10	इलेक्ट्रिशियन	तृतीय श्रेणी	19500-62000 (लेवल-4)	00	01	00	00	संबंधित व्यवसाय में आईटीआई उत्तीर्ण अथवा म.प्र. अनुज्ञापन मंडल (विद्युत) से उपयुक्त परीक्षा उत्तीर्ण।
11	लीडिंग फायरमेन (संविदा)	संविदा	वेतन कलेक्टर दर अनुसार	00	00	01	01	12वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा अग्निशमन में पत्रोपाधि।
12	फायरमेन (संविदा)	संविदा	वेतन कलेक्टर दर अनुसार	01	01	01	01	12वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा मान्यता प्राप्त संस्थान से अग्निशमन डिप्लोमा कोर्स या समतुल्य।
13	सफाई संरक्षक (संविदा)	संविदा	वेतन कलेक्टर दर अनुसार	35	36	36	36	5वीं कक्षा उत्तीर्ण।
	कुल योग (174)			38	45	46	45	

मुख्य शर्तें :-

1. आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
2. समस्त प्रमाण-पत्रों को सक्षम अधिकारी अथवा स्वयं सत्यापित करने के उपरांत प्रमाण पत्रों की प्रति संलग्न प्रेषित की जावे।
3. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी 3-38/16/1/3 भोपाल, दिनांक 04 जुलाई 2019 अनुसार अभ्यार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष, आरक्षित वर्ग-अनु.जा., अनु. जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय/निगम/मण्डल/स्वाशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/दिव्यांगजन/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिए 18 से 45 (अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट) होगी।
4. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक सी-3-8/2016/3-एक भोपाल दिनांक 12 मई 2017 एवं परिपत्र क्रमांक सी 3-38/16/1/3 भोपाल, दिनांक 04 जुलाई 2019 के अनुसार आवेदक का मध्यप्रदेश राज्य के रोज़गार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
5. आवेदक को वॉक-इन-इंटरव्यू/साक्षात्कार के समय सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति साथ लाना अनिवार्य है।
6. दिव्यांगता के डिजिटल प्रमाण पत्र संबंधित जिले के शासकीय जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया ही मान्य होगा।
7. डिजिटल जाति मूल निवासी प्रमाण-पत्र/जाति प्रमाण-पत्र एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया ही मान्य होगा।
8. वॉक-इन-इंटरव्यू के लिए आने वाले आवेदकों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
9. अधूरे, अस्पष्ट एवं अपठनीय आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।
10. भर्ती से संबंधित जानकारी एवं शर्तें कार्यालयीन समय में निगम/निकाय से प्राप्त की जा सकती हैं।
11. यह कि जिस आवेदक का विवाह निर्धारित न्यूनतम आयु (पुरुष वर्ग के लिए 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष) के पूर्व हो गया हो उसे उक्त पदों के लिए अयोग्य माना जायेगा।
12. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वह आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को पूर्ण करता है।
13. आवेदन-पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण, असत्य या त्रुटिपूर्ण पायी जाती है अथवा वांछित प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किया जाता है, तो उसके आधार पर आवेदक को पूर्व सूचना दिये बिना उसका आवेदन पत्र किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है।
14. सीधी/बैकलॉग के पदों पर आवेदक राष्ट्रीय पेंशन योजना, 2005 अंतर्गत नियुक्ति होंगे।
15. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 30.06.2014 के अनुसार वर्गवार आरक्षण न करते हुए दिव्यांगजानों की श्रेणी के आधार पर आरक्षण किये जाने से विशेष पिछड़ी जनजातियों (सहारिया/सहरिया, भारिया एवं बैगा) महिलाओं एवं भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के आवेदकों को पृथक से आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
16. ऐसे समस्त आवेदन पत्र जो अपूर्ण हैं एवं विहित प्रारूप में नहीं है वे निरस्त कर दिये जायेंगे। अभिलेखों को कूटरचित किया हो या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किये गये हो जो रूपान्तरित किये गये हो वे भी निरस्त कर दिए जाएंगे। साथ ही ऐसे विवरण दिये गए हों, जिसमें ऐसी तात्विक जानकारी छिपाई गई हो, जो चयन के लिए आवश्यक हो, तो ऐसे आवेदन पत्र भी निरस्त कर दिए जाएंगे।
17. दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित होने वाले अभ्यर्थियों का उनके लिये जिला स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण कराकर यह सुनिश्चित होने के पश्चात ही कि वे वास्तव में विकलांग हैं यह जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित किये जाने के उपरांत ही नियुक्ति आदेश जारी किये जायेंगे।
18. यह कि दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के दिव्यांगता का प्रतिशत 40 प्रतिशत या अधिक पाए जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा।
19. शासन के आदेश के अनुसार, कोई भी अभ्यर्थी जिसके 02 से अधिक जीवत सन्तानें हैं, जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ है तो ऐसा अभ्यर्थी नियुक्त हेतु पात्र नहीं होगा, लेकिन यदि एक बच्चा जीवित है और बाद के प्रसव में दो या अधिक सन्तानें जन्म लेती हैं तो उसे अयोग्य नहीं माना जावेगा।
20. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी, 3-13/2019/3/एक भोपाल, दिनांक 12 दिसंबर 2019 के अनुसार सीधी भर्ती के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर चयन होने पर अभ्यर्थी 03 वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर नियुक्त होगा। परीवीक्षा अवधि में अभ्यर्थी को प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में दी जायेगी।

(शेष अगले पृष्ठ पर)